सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 134/2024 दिनांक : 22.10.2024

परिवादी :— श्रीमती मंगती पत्नी श्री यासीन, ग्राम—पीरपुरा, छोटी मस्जिद वाली गली, पोस्ट—लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :— अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मंगती पत्नी श्री यासीन, ग्राम—पीरपुरा, छोटी मस्जिद वाली गली, पोस्ट—लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या—RD2L322910765 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल रू0 73,894.00 का बना है जो कि बहुत ज्यादा एवं गलत बना है। उनका मीटर भी बदला गया था उसके बाद बिल आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री नफीस उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादिनी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4454 दिनांकित 30.08.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L322910765, श्रीमती मंगती पत्नी श्री यासीन, मोहल्ला—पीरपुरा, लंढौरा, तहसील रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू 01 कि0वा0 दिनांक 26.04.2005 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L322910765 के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 656 दिनांक 29.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L322910765 पर दिनांक 10.04.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया था। दिनांक 22.04.2024 को चैक मीटर सं0 जीयू115925 को फाईनल करते समय पुराने मीटर सं0 यू415485, सही पाया गया। नये मीटर सं0 जीयू115925 की

क्रमशः......02

वर्तमान रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD2L322910765 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 41630.00 धनराशि है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। मंच द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 905 दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई की जानी संभव नहीं है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 26.04.2005 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.02.2024 तक एमयू आधार पर तथा दिनांक 11.08.2024 को एमसी के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 09.02.2024 को जारी बिल में, दिनांक 09.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 तक, एक माह की अवधि में 3002 (11466—8464) यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। तद्पश्चात दिनांक 09.02.2024 से दिनांक 22.04.2024 तक, लगभग 2.43 माह की अवधि हेतु विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए 2576 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त अवधि में लगभग 1060 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 3002 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 64.69 प्रतिशत कम है। परिवादिनी द्वारा गत वर्षों / महीनों में, दिनांक 27.08.2018 से दिनांक 09.02.2024 तक, लगभग 63.40 माह की अवधि में कुल 8166 (11466—3300) यूनिट विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 63.40 माह की अवधि में, लगभग 129 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 3002 यूनिट प्रतिमाह तथा 1060 युनिट प्रतिमाह की तुलना में क्रमशः 95.70 व 87.83 प्रतिशत कम है। परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—यू415485 को, मीटर संख्या—जीयू115925 द्वारा दिनांक 22.04.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नये मीटर संख्या—जीयू115925 पर, दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 11.08.2024 तक, लगभग 3.63 माह की अवधि में कुल 516 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 3.63 माह की अवधि में, लगभग 142 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 129 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—यू415485 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिनांक 09.02.2024 तथा दिनांक 11.08.2024 को जारी बिलों में, पूर्व में जारी बिलों की तुलना में औसतन खपत क्रमशः 2227.13 तथा 721.73 प्रतिशत अधिक दर्शायी गई है तथा वर्तमान में गतिमान नये मीटर पर दर्ज औसतन विद्युत खपत की तुलना में क्रमशः 2014.08 तथा 646.48 प्रतिशत अधिक दर्शायी गई है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 08.10.2018 से दिनांक 11.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 27.08.2018 से दिनांक 09.02.2024 तक की अवधि हेतु, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत 8166 (11466—3300) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 09.02.2024 से दिनांक 22.04.2024 तक की अवधि हेतु, 129 यूनिट प्रतिमाह निर्धारण के आधार पर तथा दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 11.08.2024 तक की अवधि हेतु, नये मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः......03

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 08.10.2018 से दिनांक 11.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 27.08.2018 से दिनांक 09.02.2024 तक की अवधि हेतु, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत 8166 (11466—3300) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 09.02.2024 से दिनांक 22.04.2024 तक की अवधि हेतु, 129 यूनिट प्रतिमाह निर्धारण के आधार पर तथा दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 11.08.2024 तक की अवधि हेतु, नये मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	(सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 167/2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :– श्री शमशेर पुत्र श्री जाकीर, निकट–गडरियान, ग्राम–गाधारौना, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शमशेर पुत्र श्री जाकीर, निकट–गडरियान, ग्राम–गाधारौना, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD2L125492951 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह हर माह का विद्युत बिल समय से जमा करते आ रहे हैं, लेकिन माह नवम्बर 2023 में उनका बिल आरडीएफ के आधार पर गलत बना दिया गया है। आज दिनांक तक भी उनका बिल सही नहीं किया गया है। जबकि उनके मीटर की विभाग द्वारा कई बार एमआरआई भी कराई गई है। उनके द्वारा विद्युत कार्यालय में इस बाबत प्रार्थना पत्र भी दिये गये, लेकिन आज तक उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शमशेर उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4797 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD2L125492951 श्री शमशेर पुत्र श्री जाकीर, निकट–गडरियान, ग्राम–गाधारौना, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू 01 कि0 वा0, दिनांक 27.04.2019 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125492951 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 769 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L125492951

क्रमशः......02

पर स्थापित विद्युत मापक संख्या L84606790 की वर्तमान रीडिंग 1091 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD2L125492951 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 9367.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 27.04.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 20.07.2024 तक, लगातार 5 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा आरडीएफ आधार पर, अत्यधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए जा रहे हैं जबकि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–एल84606790 पर दर्ज वास्तविक खपत / रीडिंग कम है। इसी क्रम में, मंच द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर पर दर्ज रीडिंग / खपत की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए गए। मंच के उक्त आदेश के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत मीटर संख्या–एल84606790 पर, दिनांक 22.08.2024 को मीटर रीडिंग–1091 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग–3043 केडब्लूएच दर्शायी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 20.07.2024 तक, लगभग 9 माह की अवधि में कुल 167 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.11.2023 को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर तथा दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 20.07.2024 तक, आरडीएफ आधार पर कुल 4989 यूनिट के विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 167 यूनिट की तुलना में 2887.43 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4797 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग तथा आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–एल84606790 पर दर्ज मीटर रीडिंग–1091 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग के लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग तथा आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–एल84606790 पर दज मीटर रीडिंग–1091 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग तथा आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–एल84606790 पर दर्ज मीटर रीडिंग–1091 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 08/10/2024	(सतीश उनियाल) 08/10/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 181 / 2024 दिनांक : 08.10.2024

परिवादी :– श्रीमती खेरून निशा पत्नी श्री जहूर अहमद, वार्ड नं0–2, मकान नं0–2, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती खेरून निशा पत्नी श्री जहूर अहमद, वार्ड नं0–2, मकान नं0–2, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD11508150761 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री शमीम खान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4798 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आर0पीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD11508150761 श्रीमती खेरून निशा पत्नी श्री जहूर अहमद वास्ते श्री शमीम खान, वार्ड नं0–2, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू 03 कि0 वा0, दिनांक 02.07.2008 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD11508150761 के सम्बन्ध मे क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 806 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 26.11.2022 को पुराना विद्युत मापक संख्या 96223731 के सापेक्ष नया विद्युत मापक संख्या यू913392 को स्थापित किया गया है। नया विद्युत मीटर संख्या यू913392 की औसत रीडिंग के आधार पर बीजक संशोधित किया गया है। संशोधन किए जाने के उपरान्त रू0 11496.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 03 किलोवाट भार पर दिनांक 02.07.2008 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.11.2022 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 14.02.2024 तक आरडीएफ आधार पर, दिनांक 19.03.2024 को एमसी तथा दिनांक 14.08.2024 को एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 9 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—96223731 को, मीटर संख्या—यू913392 द्वारा, दिनांक 26.01.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा दिनांक 11.07.2022 से दिनांक 24.11.2022 तक, लगभग 4.43 माह की अवधि में, कुल 586 (4869—4283) यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 4.43 माह की अवधि में, लगभग 132 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 17.12.2023 तक, लगभग 6.6 माह की अवधि में कुल 2168 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए आरडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 6.60 माह की अवधि हेतु, लगभग 328 यूनिट प्रतिमाह की दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 132 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 148.48 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4798 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को निर्धारण के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर, पूर्व में दर्ज, वास्तविक औसत विद्युत खपत के आधार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग के लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को निर्धारण के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर, पूर्व में दर्ज वास्तविक औसत विद्युत खपत के आधार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी को निर्धारण के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर, पूर्व में दर्ज वास्तविक औसत विद्युत खपत के आधार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	08/10/2024	08/10/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 190/2024 दिनांक : 22.10.2024

परिवादी :– श्री इस्तीयाक पौत्र स्व0 दीन मोहम्मद, ग्रा0 अकबरपुर, ढ़ांडेकी, लण्ढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इस्तीयाक पौत्र स्व0 दीन मोहम्मद, ग्रा0 अकबरपुर, ढ़ांडेकी, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9L491521460 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि मीटर रीडिंग के अनुसार उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री इस्तीयाक उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4700 दिनांकित 09.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD9L491521460 श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री जहूर, ग्राम अकबरपुर, ढ़ांडेकी, लण्ढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर निजी नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0, दिनांक 06.04.2011 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD9L491521460 के सम्बन्ध में मंच को अवगत कराना है कि उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9158533 की वर्तमान रीडिंग 36021 के0डब्ल्यू0एच0 है। जिसके आधार पर विद्युत बीजक सही है। मीटर का सेंसर पोर्ट खराब होने के कारण एमआरआई नहीं हो सकी है। विद्युत संयोजन सं0 RD9L491521460 के बकाया विद्युत बीजक रू0. 75,368.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है। मंच के आदेश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक 905 दिनांक 05.10.2024 के माध्यम से परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–9158533 की एमआरआई रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का

क्रमशः......02

यह विद्युत संयोजन, 10 एच0पी0 भार पर, श्री दीन मोहम्मद के नाम पर, दिनांक 01.01.2001 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 02.07.2022 को आईडीएफ, दिनांक 09.08.2023 को एमसी तथा दिनांक 30.12.2023 व दिनांक 29.06.2024 को एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या—सी10100 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, मीटर संख्या—9158533 द्वारा, दिनांक 11.11.2022 को प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 11.11.2022 से दिनांक 29.06.2024 तक, लगभग 19.60 माह की अवधि में कुल 32803 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 19.60 माह की अवधि में लगभग 1676 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि परिवादी के संयोजन के सापेक्ष, स्वीकृत भार—10 एचपी के विरूद्ध, उपभोग की जा रही विद्युत भार—19.18 एचपी के सापेक्ष सही प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—9158533 पर, दिनांक 15.07.2024 को मीटर रीडिंग—36021 केडब्लूएच दर्ज है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 29.06.2024 से दिनांक 15.07.2024 तक, लगभग 0.53 माह की अवधि में कुल 3218 (36021—32803) यूनिट की विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 1674 यूनिट प्रतिमाह की खपत तुलना में 260.45 प्रतिशत अधिक है। उक्त से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 से दिनांक 29.06.2024 तक जारी बिलों में, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—9158533 पर समय—समय पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष कम खपत के बिल जारी किए गए हैंजो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 09.08.2023, दिनांक 30.12.2023 तथा दिनांक 29.06.2024 से दिनांक 18.05.2024 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 02.07.2022 से दिनांक 11.11.2022 तक की अवधि हेतु, इससे पूर्व तीन एमयू बिलिंग चक्रों में दर्ज विद्युत खपत के मासिक औसत खपत के आधार पर तथा दिनांक 11.11.2022 से दिनांक 15.07.2024 तक की अवधि हेतु वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—9158533 पर दर्ज कुल विद्युत रीडिंग / खपत 32803 केडब्लूएच के सापेक्ष, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 09.08.2023, दिनांक 30.12.2023 तथा दिनांक 29.06.2024 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 02.07.2022 से दिनांक 11.11.2022 तक की अवधि हेतु, पूर्व तीन एमयू बिलिंग चक्रों में दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 11.11.2022 से दिनांक 15.07.2024 तक की अवधि हेतु वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या--9158533 पर दर्ज कुल विद्युत रीडिंग / खपत 32803 केडब्लूएच के सापेक्ष, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 22/10/2024	(सतीश उनियाल) 22/10/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 193/2024 **दिनांक : 28.10.2024**

परिवादी :– श्रीमती कोहीनूर पत्नी महफूज, वार्ड नं0 02, न्यू कालोनी, नियर ईदगाह, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कोहीनूर पत्नी महफूज, वार्ड नं0 02, न्यू कालोनी, नियर ईदगाह, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD2L421840936 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री महफूज उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5579 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD2L421840936 श्रीमती कोहिनूर पत्नी श्री महफूज के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 25.06.2022 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 874 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2L421840936 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या एसएस15885043 में, वर्तमान रीडिंग 1959 केडब्लूएच, के आधार पर बीजक को आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन RD2L421840936 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 4335.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 25.06.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2023 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक, लगातार पांच बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि दोषी कार्मिकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जा सके, साथ ही उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—एसएस15885043 पर दर्ज मीटर रीडिंग / खपंत की पुष्टि हेतु प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर, दिनांक 20.08.2024 को मीटर रीडिंग—1959 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग—3547 केडब्लूएच दर्शायी गई है साथ ही दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष कुल 3970 केडब्लूएच, विद्युत की खपत का, निर्धारण के आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि में, मीटर संख्या—एसएस15885043 पर दर्ज विद्युत खपत 651 यूनिट के विरूद्ध, दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक की अवधि हेतु, गलत रीडिंग / खपत तथा आरडीएफ बिलों के सापेक्ष खपत का निर्धारण करते हुए, कुल 6209 यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5579 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक कीअवधि हेतु, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—एसएस15885043 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 1959 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—एसएस15885043 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 1959 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

क्रमशः......03

वाद सं0—193 / 2024
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 18.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—एसएस15885043 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 1959 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/10/2024 | 28/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>**नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।**</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 205/2024 **दिनांक : 22.10.2024**

परिवादी :— श्री शफिकुर रहमान पुत्र श्री रशीद अहमद, मोहल्ला—किला, कस्बा—लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :— अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शफिकुर रहमान पुत्र श्री रशीद अहमद, मोहल्ला—किला, कस्बा—लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 27.07.2024 को, उन्होंने कॉमर्शियल कनैक्शन भार 03 कि0वा0 के लिये आवेदन किया था। जिसको बिना किसी कारण के जे0ई0 ने कनैक्शन करने से मना कर दिया था। दिनांक 07.08.2024 को रूड़की डिविजन में चल रहे किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में उनके द्वारा शिकायत करने पर दिनांक 09.08.2024 को उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 526090824004 है। लेकिन उसके बाद भी उनका कनैक्शन नहीं हो पा रहा है। उनको कार्य करने के लिए विद्युत कनैक्शन की अति आवश्यकता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका कनैक्शन करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शफिकुर रहमान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5485 दिनांकित 11.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 918 दिनांक 10.10.2024 द्वार अवगत कराय गया है कि शिकायतकर्ता श्री शफीकुर्रहमान पुत्र श्री रशीद अहमद, मौहल्ला किला, पोस्ट लण्ढ़ौरा, तहसील रूड़की, हरिद्वार के द्वारा दिये गये नये संयोजन के आवेदन का पंजीकरण दिनांक 09.08.2024 को कर पंजीकरण नं0 526090824004 जारी किया गया। शिकायतकर्ता श्रीशफीकुर्रहमान पुत्र श्री रशीद अहमद के द्वारा पंजीकरण नं 526090824004 के सापेक्ष दिनांक 28.08.2024 को संयोजन हेतु धनराशि जमा करने के उपरान्त विद्युत मापक सं0 जीयू447030 शिकायतकर्ता

क्रमशः......02

श्री शफीकुर्रहमरन पुत्र श्री रशीद अहमद के परिसर पर स्थापित कर दिनांक 10.09.2024 को संयोजन सं0 आरडी61508818453 को ऊर्जीकृत कर दिया गया।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा 03 किलोवाट, विद्युत भार पर अघरेलू संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2024 को, विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या—526090824004 के माध्यम से दिनांक 09.08.2024 को पंजीकृत किया गया है। परिवादी द्वारा, उक्त पंजीकरण के सापेक्ष नये विद्युत संयोजन हेतु वांछित शुल्क का भुगतान दिनांक 28.08.2024 को किया गया है। तद्पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा संयोजन संख्या—आरडी6508818453, आवंटित करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर दिनांक 10.09.2024 को विद्युत संयोजन जारी किया गया है। परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन पत्र की पावती के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा नये संयोजन हेतु वांछित शुल्क का भुगतान दिनांक 28.08.2024 को किया गया है। तदपश्चात उक्त तिथि 28.08.2024 से 13 दिनों के पश्चात, दिनांक 10.09.2024 को परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या—आरडी6508818453 निर्गत करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के नये विद्युत संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन के संदर्भ में जारी पंजीकरण संख्या—526090824004, दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष, विद्युत संयोजन जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के नये विद्युत संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन के संदर्भ में जारी पंजीकरण संख्या—526090824004, दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष, विद्युत संयोजन जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024		22/10/2024
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 208/2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :– श्री मौ0 इकबाल पुत्र श्री यासीन, वार्ड नं0 3, मोहल्ला–किला, रंगमहल साईट, बस स्टेण्ड, मंगलौर रोड़, पोस्ट–लण्ढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मौ0 इकबाल पुत्र श्री यासीन, वार्ड नं0 3, मोहल्ला–किला, रंगमहल साईट, बस स्टैण्ड, मंगलौर रोड़, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD61508155529 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत मीटर का बिल ज्यादा आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री खलील उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4799 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD61508155529, श्री मौ0 इकबाल पुत्र श्री यासीन, वार्ड नं0 3, मोहल्ला–किला, रंगमहल साईट, बस स्टैण्ड, मंगलौर रोड़, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतू 03 कि0वा0, भार पर दिनांक 20.06.2016 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD61508155529 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 808 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू224439 की वर्तमान रीडिंग 3283 के0डब्ल्यू0एच0 के आधार पर बीजक सही है। विद्युत संयोजन संख्या RD61508155529 का बकाया

क्रमशः......2

बीजक रू0 14057.00 धनराशि का है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 03 किलोवाट भार पर दिनांक 20.06.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.07.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.08.2023 को जारी विद्युत बिल में, कुल विद्युत खपत—1308 यूनिट दर्शायी गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 25.07.2023 से दिनांक 30.08.2023 तक, लगभग 1.16 माह की अवधि में, 1308 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 1.16 माह की अवधि में, लगभग 1128 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि गत महिनों में, एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज, औसत विद्युत खपत से काफी अधिक है। दिनांक 30.08.2023 के पश्चात, दिनांक 24.09.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक, लगभग 10 माह की अवधि में कुल 17 (3283—3266) यूनिट खपत के विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा गत 10 माह की अवधि में, मात्र 1.70 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.08.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू224439 पर दर्ज रीडिंग के सापेक्ष, अधिक दशायी गई है। परिणामस्वरूप दिनांक 30.08.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक जारी बिलों में, औसतन 1.70 यूनिट प्रतिमाह के विद्युत खपत दर्शाते हुए विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 30.08.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.06.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक की अवधि हेतु, कुल विद्युत खपत 1325 (3283—1958) यूनिट दर्शाते हुए, औसत मासिक विद्युत खपत (लगभग 102 यूनिट) के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 30.08.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.06.2023 से दिनांक 28.07.2024 तक की अवधि हेतु, कुल विद्युत खपत 1325 (3283—1958) यूनिट दर्शाते हुए, औसत मासिक विद्युत खपत (लगभग 102 यूनिट) के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024 08/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 209/2024 दिनांक : 28.10.2024

परिवादी :– श्री अब्दुल कलाम पुत्र श्री मौ0 इरशाद, नियर कच्ची मस्जिद, भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अब्दुल कलाम पुत्र मौ0 श्री इरशाद, नियर कच्ची मस्जिद, भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD1L311674862 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके मीटर में 115 रीडिंग है और बिल में बहुत ज्यादा रीडिंग आई है। उनका मकान बन्द रहता है वह सपरिवार बाहर रहते हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अब्दुल कलाम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5580 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD1L311674862 श्री अब्दुल कलाम पुत्र मौ0 श्री इरशाद के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 20.09.2023 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 907 दिनांक 07.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD1L311674862 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 1022271 में वर्तमान रीडिंग, 115 केडब्लूएच के आधार पर बीजक को आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन RD1L311674862 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 722.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 20.09.2023 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 27.07.2024 को आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–10222271 पर दर्ज मीटर रीडिंग / खपत की पुष्टि हेतु प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर, दिनांक 17.08.2024 को मीटर रीडिंग–115 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग–4500 केडब्लूएच दर्शायी गई है साथ ही दिनांक 27.07.2024 को, आरडीएफ आधार पर जारी बिल के सापेक्ष कुल 80 केडब्लूएच, विद्युत की खपत का, निर्धारण के आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 17.08.2024 तक की अवधि में, मीटर संख्या–10222271 पर दर्ज विद्युत खपत 14 यूनिट के विरूद्ध, दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 27.07.2024 तक की अवधि हेतु, गलत रीडिंग / खपत तथा आरडीएफ बिलों के सापेक्ष खपत का निर्धारण करते हुए, कुल 2075 यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5580 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.03.2024 से दिनांक 27.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 15.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–10222271 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 115 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 14.03.2024 से दिनांक 27.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 15.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–10222271 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 115 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 14.03.2024 से दिनांक 27.07.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 15.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–10222271 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 115 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/10/2024 | 28/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 212/2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :— श्री रियाजुल पुत्र श्री शमशाद, बाहर किला, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :— अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रियाजुल पुत्र श्री शमशाद, बाहर किला, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या—RD11508155293 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका विद्युत मीटर अक्टूबर 2023 में खराब हो गया था। उनके द्वारा एप्लीकेशन देने के बाद विद्युत मीटर बदला गया। उनका विद्युत बिल नवम्बर माह में ज्यादा आ गया था और तब से ज्यादा अधिक ही आ रहा है। उनके द्वारा कई बाद एप्लीकेशन भी दी गई है लेकिन बिल ठीक नहीं हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि अनामता उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4800 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD11508155293 श्री रियाजुल पुत्र श्री शमशाद, बाहर किला, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू 02 कि0वा0,भार पर दिनांक 19.01.2016 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD11508155293 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 804 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD11508155293 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या U986210 की वर्तमान रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD11508155293 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 18452.00 धनराशि

क्रमशः......02

है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा दिनांक 05.09.2024 को भुगतान कर दिया गया है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 19.01.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.07.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–121510 को, मीटर संख्या–यू986210 द्वारा, दिनांक 15.11.2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में, दिनांक 18.08.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि हेतु कुल 2372 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 2.73 माह की अवधि में लगभग 869 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि पूर्व में जारी विद्युत बिलों में दर्शायी गई औसत विद्युत खपत की तुलना में काफी अधिक है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 02.11.2023 तक की अवधि में, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–यू986210 पर, समय–समय पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं परिणामस्वरूप दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में अत्यधिक विद्युत खपत दर्शायी गई है जो कि गलत प्रतीत होती है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4800 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि हेतु जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत को औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा को, दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि हेतु, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी को निर्धारण के आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, परिवादी को दिनांक 10.11.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा को, दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 10.11.2023 तक की अवधि हेतु, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024 08/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 218/2024 **दिनांक : 28.10.2024**

परिवादी :– श्री टिंकल पुत्र श्री रहतू, रविदास मन्दिर के पिछे, हरिजन बस्ती, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री टिंकल पुत्र श्री रहतू, रविदास मन्दिर के पीछे, हरिजन बस्ती, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD11508152104 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनका मीटर बकाया पर उतार लिया गया था, लेकिन उनके द्वारा बिल जमा करने के बाद भी उनका बिल बहुत ज्यादा बनाया गया जबकि उनके मीटर की एमआरआई होने के बाद पता चला की उनके मीटर में रीडिंग 5064 है। अतः मंच से अनुरोध है इस रीडिंग के अनुसार उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री टिंकल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5581 दिनांकित 15.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD11508152104 श्री टिंकल पुत्र श्री रहतू के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 07.11.2011 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 807 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD11508152104 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 80376570 में, वर्तमान रीडिंग 5089 केडब्लूएच के आधार पर बीजक को आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन RD11508152104 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 6429.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 07.11.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.11.2023 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 19.05.2024 तक, लगातार 06 बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर/आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि दोषी कार्मिकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जा सके, साथ ही उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–80376570 पर दर्ज मीटर रीडिंग/खपत की पुष्टि हेतु प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर, दिनांक 20.08.2024 को मीटर रीडिंग–5089 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.11.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग–6630 केडब्लूएच दर्शायी गई है साथ ही दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 19.05.2024 तक, एनआर/आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष कुल 1734 केडब्लूएच, विद्युत की खपत का, निर्धारण के आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.03.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि में, मीटर संख्या–80376570 पर दर्ज विद्युत खपत 722 यूनिट के विरूद्ध, दिनांक 03.03.2023 से दिनांक 19.05.2024 तक की अवधि हेतु, गलत रीडिंग/खपत तथा एनआर/आरडीएफ बिलों के सापेक्ष खपत का निर्धारण करते हुए, कुल 3997 यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जिसे किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 5581 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 19.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.03.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–80376570 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग/खपत 5089 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 19.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.03.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–80376570 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग/खपत 5089 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

क्रमशः......03

वाद सं0—218 / 2024
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 19.05.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.03.2023 से दिनांक 20.08.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—80376570 पर दर्ज वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत 5089 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/10/2024 28/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 228 / 2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :– श्री इस्लाम पुत्र श्री असगर, बहार किला, वार्ड नं0–03, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इस्लाम पुत्र श्री असगर, वार्ड नं0–03, बहार किला, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD11508151292 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके यहां चैक मीटर लगा था परन्तु अभी तक उनका बिल सही नहीं हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मोनीश उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4801 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD11508151292 श्री इस्लाम पुत्र श्री असगर, वार्ड नं0–03, बहार किला, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू 01 कि0वा0, भार पर दिनांक 16.02.2010 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD11508151292 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 803 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू467654 के सापेक्ष दिनांक 06.03.2024 को चैक मीटर संख्या जीयू102007 लगाया गया। चैक मीटर के आधार पर माह जून 2024 में बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD11508151292 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 2323.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता

क्रमशः......02

के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 16.02.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2024 तक एमयू आधार पर, दिनांक 14.04.2024 को एमसी आधार पर, दिनांक 21.05.2024 तथा दिनांक 13.06.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 08.02.2024 तथा 07.03.2024 को जारी विद्युत बिल में, विद्युत खपत की मात्रा क्रमशः 657 एवं 736 यूनिट दर्शायी गई है जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दशार्यी गई विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है। इसी क्रम में परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–यू467654 की शुद्धता जांचें जाने हेतु, चैक मीटर स्थापित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 06.03.2024 को, चैक मीटर संख्या–जीयू102007 स्थापित किया गया जिसे दिनांक 22.03.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उक्त मीटर संख्या–यू467654, चैक मीटर की तुलना में 12850.00 प्रतिशत तेज पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.02.2024 तथा 07.03.2024 को, उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू467654 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4801 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू467654 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू467654 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू467654 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	08/10/2024	08/10/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 229/2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :– श्री रियासत अली पुत्र श्री अब्दुल मजीद, रेलवे स्टेशन रोड़, लण्ढ़ौरा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रियासत अली पुत्र श्री अब्दुल मजीद, रेलवे स्टेशन रोड़, लण्ढ़ौरा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD61508303876 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा चैक मीटर लगवाया गया था, लेकिन चैक मीटर में पुराना मीटर खराब बताया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री नूरआलम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4802 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD61508303876 श्री रियासत अली पुत्र श्री अब्दुल मजीद, रेलवे स्टेशन रोड़, लण्ढ़ौरा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर अधरेलू उपयोग हेतू 01 कि0वा0, भार पर दिनांक 12.01.2020 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD61508303876 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 805 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू352644 के सापेक्ष दिनांक 23.05.2024 को चैक मीटर संख्या जीयू138710 लगाया गया। चैक मीटर के सापेक्ष पुराना मीटर 26.60 प्रतिशत का अन्तर पाया गया है।

क्रमशः......02

चैक मीटर के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD61508303876 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. –1336.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजक में समायोजित कर दिये जायेंगे।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 12.01.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.07.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.06.2023, दिनांक 16.07.2023 तथा 13.08.2023 को जारी विद्युत बिल में, विद्युत खपत की मात्रा क्रमशः 815, 815 एवं 736 यूनिट दर्शायी गई है जो कि पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2023 से दिनांक 13.04.2024 के मध्य, 07 बिलिंग चक्रों हेतु कोई भी बिल जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4) का उल्लंघन किया गया है। इसी क्रम में परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–यू352644 की शुद्धता जांचें जाने हेतु, चैक मीटर स्थापित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 04.08. 2024 को, चैक मीटर संख्या–जीयू138710 स्थापित किया गया जिसे दिनांक 04.08.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उक्त मीटर संख्या–यू352644, चैक मीटर की तुलना में 26.60 प्रतिशत तेज पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.06.2023, दिनांक 16.07.2023 तथा 13.08.2023 को, उक्त दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू352644 पर दर्ज विद्युज खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4802 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू352644 के सापेक्ष जारी बिलों को नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू352644 के सापेक्ष जारी बिलों को, नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के दोषपूर्ण मीटर संख्या–यू352644 के सापेक्ष जारी बिलों को, नियमानुसार संशोधित करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024 | 08/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 246/2024 **दिनांक : 28.10.2024**

परिवादी :– मै0 नटराज स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्री, श्री दीपक सिंह नेगी (पार्टनर), बिशनपुर झरडा, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

–निर्णय–

परिवादी मै0 नटराज स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्री, श्री दीपक सिंह नेगी (पार्टनर), बिशनपुर झरडा, जनपद हरिद्वार द्वारा शिकायत (कागज स0–1,2 मय संलग्नक कागज स0–3 ता 8) विद्युत संयोजन संख्या JW0K000009171 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह स्टोन क्रेशर कई वर्षो से चला आ रहा है जिस पर उसके द्वारा 75 कि0वा0 का एक विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। जिसका की समय समय पर बिल आने पर उसके द्वारा विभाग को बिल का भुगतान कर दिया जाता है। उसके प्रत्येक बिल में एक्सेस लोड की जो भी पैनल्टी लगायी गयी है वह भी उसके द्वारा बिल के साथ ही जमा कर दिया जाता था। जिस सम्बन्ध में उसको पूर्व में कुछ पता नही था कि एक्सेस लोड पर लगने वाली पैनल्टी का कुछ पता नही था। उसके उपरान्त महोदय जनवरी/फरवरी मे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा उसको जानकारी दी गई तथा लोड बढ़ाने के लिये कहा गया। जिस सम्बन्ध में उसके द्वारा फरवरी माह में फीस जमा कर आवेदन कर दिया गया जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। इसके उपरान्त दिनांक 24/06/2024 को तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक सं0 2757/वि0वि0/ख0/ज्वा0/हरि0/के0सी0सी0 द्वारा नोटिस दिया गया कि उसने माह 10.2020 से दिनांक 30.11.2023 तक एक्सेस लोड की कुल पैनल्टी मु0 28,04,2014.40 रूपये लगायी गयी है। जो कि वर्तमान बिलो में समायोजित होकर आ रही है। जबकि पूर्व में विलो में जो भी एक्सेस लोड की पैनल्टी बिलो मे आयी वह पूर्ण रूप से उसके द्वारा विभाग को जमा कर दी गई थी। उसके द्वारा से सम्पर्क करने पर बताया गया कि विभाग ने जो पैनल्टी वसूली है वह दो गुनी है जबकि 2020 के बाद चार गुना पैनल्टी का प्राविधान था। चूंकि इसमें उसकी कोई गलती किसी प्रकार की नही है। उसको विभाग द्वारा जो भी बिल दिया गया तथा उस पर जो भी एक्सेस लोड की पैनल्टी लगायी गयी वह समय पर जमा कर दी गई थी। उक्त धनराशि को जमा करने हेतु विभाग के कर्मचारियो द्वारा कहा गया है तथा उसके विद्युत कनेक्शन को काटने हेतु कहा जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि

Hdarshan **क्रमशः......02**

उसका उक्त कनेक्शन विभाग द्वारा ना काटा जाये तथा एक्सेस लोड की जो पेनल्टी बिलो में दर्शित होकर आ रही है उसको निर्णय आने तक हटाने तथा उससे आने वाले करंट बिलो का भुगतान ले लिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने जवाब कागज स0–13 (पत्र संख्या 4166 दिनांकित 10.09.2024) मय संलग्नक कागज स0–14 ता 25 प्रस्तुत कर कथन किया कि संयोजन संख्या JW0K000009171 नामें मै0 नटराज स्टोन क्रेशर, बिशनपुर, जगजीतपुर, हरिद्वार स्वीकृत भार 75 कि0वा0 / 88 के0वी0ए0 दिनांक 15.09.2018 से चला आ रहा है। उपभोक्ता द्वारा अपने संयोजन पर स्वीकृत भार से अत्यधिक भार का प्रयोग किया जा रहा था। जिसके लिए उपभोक्ता को प्रत्येक माह के बिल के अलावा दिनांक 23.05.2022 को खण्ड कार्यालय पत्रांक 1850 के माध्यम से लोड बढ़ाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया तथा खण्ड कार्यालय पत्रांक 4169 दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से लोड बढ़ाने हेतु एक अन्य नोटिस प्रेषित किया गया। दिनांक 03.01.2024 को लोड बढ़ाने हेतु System generated नोटिस क्र0सं0 2401031006518 भी प्रेषित किया गया। उपभोक्ता द्वारा खण्ड कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस के सापेक्ष लोड न बढाये जाने के उपरान्त खण्ड कार्यालय पत्रांक 2757 / वि0वि0ख0ज्वालापुर / हरि0 / KCC दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से माह 10 / 2020 से दिनांक 30.11.2023 के दौरान उपभोग किये गये Excess Load की Penalty के सम्बन्ध में धनराशि रू0 28,04,214.40 का नोटिस मैसर्स नटराज स्टोन क्रेशर, बिशनपुर, जगजीतपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार को प्रेषित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति उपभोक्ता द्वारा खण्ड कार्यालय में दर्ज नही करायी गयी। सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के कार्यालय पत्रांक UERC/7/CL/685/2023-24/1290 Dated 04-March, 2024 के पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से "From above, it is clear that when Regulations 5.2.3(1) and 5.2.3(2) of UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 are read in conjunction with "General Conditions of Supply" of the prevalent Tariff Orders till date, the Charges to be levied for excess load/demand violations beyond three consecutive billing cycles shall be 4 times of the normal fixed/demand charges in the 4th and subsequent consecutive billing cycles." के विषय में Clarification से अवगत कराया गया है। तत्क्रम में खण्ड कार्यालय के पत्रांक2757 / वि0वि0ख0ज्वालापुर / हरि0 / KCC दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से माह 10 / 2020 से दिनांक 30.11.2023 के दौरान उपभोग किये गये Excess Load की Penalty की धनराशि रू0 28,04,214.40 का निर्धारण किया गया है। जोकि उक्त विनियमों अनुबन्धों के आधार पर सही है।

विपक्षी की ओर से कागज स0–27,28 के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त दंड भार का विवरण प्रस्तुत किया गया।

परिवादी ने प्रतिउत्तर पत्र (कागज स0–31,32) के साथ संलग्न शपथपत्र (कागज स0–33,34,35,36) प्रस्तुत किया। परिवादी के उक्त कथन का प्रभावी रिबुटल साक्ष्य विपक्षी प्रस्तुत नही कर सका तथा कागज स0–40 विपक्षी ने प्रस्तुत किया। पक्षकारो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद की शिकायत विपक्षी द्वारा एक बार वसूली करने के उपरांत पुनः रुपये 28,04,214.40 (अठाइस लाख चार हजार दो सौ चौदह रुपये) का मांगपत्र प्रेषित कर जुर्माना धनराशी परिवादी के बिल में लगाये जाने के विरुद्व प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये है–

क्रमशः......03

1. क्या विपक्षी को परिवादी से पुनः रुपये 28,04,214.40 (अठाइस लाख चार हजार दो सौ चौदह रुपये) का मांग करने अथवा जुर्माना चार्ज करने का अधिकार है ?

—विवेचना—

उपरोक्त वाद बिन्दुओ का निस्तारण करने के लिए विधिक व्यवस्था का वर्णन आवश्यक है।

1. **उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता नये संयोजनो को जारी करना तथा सम्बधित मामले) निनियम 2020 के प्रावधान अध्याय—5.2.3 के अनुसार—**

अतिरिक्त भार/मांग जुर्माना:—

(1) ऐसे उपभोक्ताओ के मामले में जहॉ अधिकतम मांग सूचक (एम.डी.आई) के साथ इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए है तथा किसी भी महीने में दर्ज अधिकतम मांग अनुबन्धित भार/मांग से अधिक है, ऐसे अतिरिक्त भार/मांग के लिए प्रभार, आयोग द्वारा समय—समय पर टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा। इस तरह का अतिरिक्त भार जुर्माना केवल उस महीने के लिए लगाया जाएगा जिसमे अधिकतम मांग अनुबन्धित भार से अधिक है। परन्तु 1 यह अतिरिक्त भार/मांग जुर्माना निजी नलकूपो /पम्पिंग सेटो, स्नोबाउंड, घरेलू उपभोक्ता श्रेणी तथा ऐसे उपभोक्ता जिनके पास प्रीपेड संयोजन है, पर लागू नहीं होगा।

परन्तु यहकि यदि घरेलू उपभोक्ताओ (बी.पी.एल उपभोक्ताओं को छोडकर) की अधिकतम दर्ज मांग उनके अनुबन्धित भार से अधिक हो तो घरेलू उपभोक्ताओ के लिए भार को निम्न प्रकिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा :—

(a) अधिकतम मांग सूचक के आधार पर अनुज्ञापी द्वारा किसी भी अतिरिक्त मांग का संस्थापित किया जाएगा।

(b) जहां उपभोक्ता मीटर में एमडीआई रिकॉडिंग सुविधा उपलब्ध है, ऐसे मामलो मे अनुज्ञापी नीचे दी गई तालिका 5.2 के अनुसार तीन बिलिंग चक्रो के लिये अनुबन्धित भार मे अनुमेय प्रतिशत भिन्नता का विश्लेषण करेगा तथा यदि अधिकतम मांग अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है तब चौथे बिलिंग चक्र के बिल के साथ एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी कर उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा कि या तो वह अनुबन्धित भार के भीतर ही भार को प्रतिबंधित करे या अतिरिक्त भार के लिये आवेदन करे।

यदि उपभोक्ता अपने भार को प्रतिबंधित नही करता है या अतिरिक्त भार के लिये आवेदन नही करता है तथा पांचवे बिलिंग चक्र में भी अनुबंधित भार/मांग की सीमा को पार करना जारी रखता है, तो अनुज्ञापी इस भार पर छटवे बिलिंग चक्र मे उक्त घरेलू उपभोक्ता के अनुबंधित भार को बढाएगा तथा पिछले 5 बिलिंग चक्रो मे दर्ज एमडीआई के औसत तथा संबंधित विनियमो के अनुसार भार वृद्वि के लिए लागू प्रभार भी वसूल करेगा।

तलिका:5.2— केवल घरेलू उपभोक्ता के लिये अनुबन्धित भार का अनुमन्य प्रतिशत वेरिफिकेशन

क्रमशः......04

अनुबन्धित भार किलावाट मे	अनुबन्धित भार का अनुमन्य प्रतिशत वेरिफिकेशन
1 कि.वा से 4 कि.वा तक	50%
4 कि.वा से 10 कि.वा तक	40%
10 कि.वा से 25 कि.वा तक	25%
25 कि.वा से अधिक	20%

परन्तु यदि भार दशमलव संख्या मे आता है, तो अनुज्ञापी गणना के उदेश्य के लिए अगली पूर्ण संख्या मान सकता है।

जहां उपभोक्ता मीटर मे एम.डी.आई रिकॉर्डिंग सुविधा उपलब्ध नही है, ऐसे मामलो मे अनुज्ञापी इन विनियमो की प्रयोज्यता के छह महीने के भीतर रिकॉडिंग के लिए उपयुक्त मीटर स्थापित करेगा।

(2) जहां उपभोक्ता की लगातार तीन बिलिंग चक्रो के दौरान (घरेलू उपभोक्ता के अलावा) अधिकतम मांग अनुबंधित भार से अधिक हो, उक्त बिलिंग चक्र के तीसरे बिल के साथ एक नोटिस उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापी द्वारा इस आशय से भेजा जायेगा कि या तो वह भार को अनुबन्धित भार की सीमा तक प्रतिबंधित करे या फिर अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करे। यदि उपभोक्ता अपने भार को प्रतिबंधित नही करता है या अतिरिक्त भार के लिये आवेदन नही करता है तथा अनुबंधित भार/आगे के बिलिंग चक्र के लिए मांग को पार करना जारी रखता है, तो इस तरह के अतिरिक्त भार/मांग के उल्लंघन के लिए उक्त क्लॉज (1) के अनुसार मांग शुल्क का दो गुना देय होगा।

उक्त का अंग्रेजी संस्करण इस प्रकार लिखा गया है— Where Maximum Demand of consumer (other than domestic consumer) during three consecutive billing cycles exceeds the contracted load, a notice alongwith the third bill of the said billing cycles shall be served to the consumer by the distribution Licensee informing him either to restrict his load within the contracted load or apply for additional load, In case the consumer does not restrict its load or does not apply for additional load, and the consumer continues to exceed the contracted load/demand for subsequent billing cycle ,the charges for such exceed load /demand shall be twice the charges for exceed load/demand violation as per Clause (1) above.

(3) भार बढाने के लिए आवेदन उपरोक्त विनियम 4.1 द्वारा शासित किया जायेगा।

(4) अधिक भार / मांग के लिए दंड प्रभार उन उपभाकताओ पर लागू नही होगा जिन्होने अगले बिलिंग चक्र से उचित भार वृद्वि (अपेक्षित दस्तावेजो तथा राशि के साथ) के लिए अपना विधिवत भरा आवेदन जमा किया है।

(5) घरेलू उपभोक्ताओ द्वारा मांग के उल्लंघन के लिए उपरोक्त क्लाज (1)(बी) के प्रावधान दिनांक 01.04. 2021 से लागू होगें। अनुज्ञापी आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमो की अधिसूचना के 2 महीने के भीतर इस सम्बंध में विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 5.2.1(8) के अनुसार— अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से 2 वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नही होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रुप में दिखाए न गए हो।

अध्याय 5.2.1(9) के अनुसार— अनुज्ञापी बिल में सभी प्रकार की देयता का पूरा विवरण प्रदान करेगा।

क्रमशः......05

पत्रावली पर प्रस्तुत प्रपत्रो में परिवाद पत्र एवं विपक्षी जवाब मे विरुद्व परिवादी ने प्रतिउत्तर पत्र (कागज स0—31,32) के साथ संलग्न शपथपत्र (कागज स0—33,34,35,36) में सशपथ कथन किया कि विपक्षी जवाब में कथित नोटिस परिवादी को कभी भी किसी भी माध्यम से प्राप्त नही हुए है। विपक्षी का नोटिस दिनांकित 3/1/2024 परिवादी को प्रथम बार प्राप्त हुआ जिसका अनुपालन करते हुए परिवादी द्वारा दिनांक 13.2.2024 को भार बढाने के लिए आवेदन कर दिया गया। परिवादी के उक्त कथन का प्रभावी रिबुटल साक्ष्य विपक्षी प्रस्तुत नही कर सका विपक्षी ने जो कागज स0—40 विपक्षी ने प्रस्तुत किया है वह कथित नोटिस की पावती नही है उससे नोटिस का दिया जाना साबित नही होता है जोकि साक्ष्य में ग्राहय नही है साथ ही कागज स0—40 विपक्षी की मंशा पर ही प्रश्न उठाता है। विपक्षी द्वारा कथित नोटिस कागज स0—15 व 16 अध्याय 5.2.3(2) के प्रावधान के अनुरुप नही है न ही पुनः नोटिस प्रेषित करने का कोई विधिक प्रावधान है जैसा कि विपक्षी ने तीन बार नोटिस प्रेषित करना बताया है जिनमें कथित प्रथम दो नोटिस कागज स0—15,16 (पंत्राक स0—1850 दिनांकित 23.5.2022 व पत्रांक स0—4169 दिनांक 19.09.2023) की भाषा प्रावधान 5.2.3(2) के अन्तर्गत मान्य नही है न ही नोटिस प्रेषित किया जाना व उसकी तामीली का कोई प्रमाण है इस आधार पर कागज स0—15,16 कानून की दृष्टि मे शून्य है। विपक्षी द्वारा दिनांक 03.01.2024 को लोड बढ़ाने हेतु System generated नोटिस क्र0सं0 2401031006518 भी प्रेषित किया जाना परिवादी ने स्वीकार किया है जिसका परिवादी ने अनुपालन करते हुए फरवरी माह में फीस जमा कर आवेदन कर दिया गया, परिवादी ने आवेदन किये जाने के साक्ष्य में भार वृद्धि हेतु कागज स0—35 Estimate charge Rs.30318.00 Receipt no.344741302242121 0003 dt.13.2.2024 and कागज स0—36 Security Deposit Receipt no.344743105242121 0037 dt.31.5.2024 शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है। परिवादी ने विद्युत भार 75 KVA से बढाकर 450 KVA हेतु आवेदन किया है। इस प्रकार परिवादी ने अध्याय 5.2.3(4) के प्रावधान के अनुरुप विपक्षी के नोटिस का अनुपालन कर दिया है। विपक्षी के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विधिक प्रावधानो का पालन किया जाना साबित होता हो। विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रथम बार नोटिस दिनांकित 03.01.2024 का दिया जाना पत्रावली पर परिवादी द्वारा स्वीकार करते हुए उसका अनुपालन किया गया है जिसके तामील किये जाने का दिनांक व पावती रसीद विपक्षी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है। विपक्षी ने विशेष रुप से कागज स0—20,21 UERC के पत्रांक स0—UERC/7/CL/685/2023-24/1290 dt.04.03.2024 प्रस्तुत कर प्रश्नगत धनराशी का मांग पत्र भेजने का आधार लिया है, बावजूद उक्त के अध्याय 5.2.3 के अन्य प्रावधानो का पालन किया जाना आवश्यक है। विपक्षी द्वारा परिवादी को विधिवत् नोटिस दिनांकित 3.1.2024 जारी किया है जिसके अनुपालन में परिवादी ने कागज स0—35,36 पत्रावली पर दाखिल करते हुए सशपथ कथन किया है कि उसने नोटिस का पालन किया है। इस प्रकार परिवादी ने अध्याय 5.2.3(4) के प्रावधान के अनुरुप विपक्षी के नोटिस का अनुपालन कर दिया है। विपक्षी द्वारा परिवादी को पूर्व में प्राप्त कराये गये किसी नोटिस की पावती प्रस्तुत नही की गई है प्रमाणित व स्पष्ट है कि नोटिस दिनांकित 3.1.2024 से पूर्व विपक्षी ने कोई नोटिस लोड बढाने की बाबत परिवादी को नही दिया था। विपक्षी द्वारा प्रावधान अध्याय 5.2.1(8) व अध्याय 5.2.1(9) का पालन किया जाना पत्रावली पर परिलक्षितएवं साबित नही होता है। उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत परिवादी सें अध्याय 5.2.3(2) के अन्तर्गत मांग शुल्क का दोगुणा चार्ज लिया जाना विधि विरुद्व है। विपक्षी द्वारा परिवादी पर जो Excess Load की Penalty की धनराशि रू0 28,04,214.40 का निर्धारण किया गया है वह विधिक प्रावधानो के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

क्रमशः......06

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को प्रेषित मांग पत्र अथवा परिवादी के विद्युत बिल मे जोडी गई धनराशी रुपये 28,04,214.40 निरस्त की जाती है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/10/2024 | 28/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 249/2024 **दिनांक : 22.10.2024**

परिवादी :– श्री जुनेदुर रहमान पुत्र स्व0 श्री अय्यूब अहमद, मोहल्ला–पावधोई, ईदगाह रोड़, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जुनेदुर रहमान पुत्र स्व0 श्री अय्यूब अहमद, पता–मोहल्ला–पावधोई, ईदगाह रोड़, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW60728074867 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके उक्त विद्युत कनैक्शन का बिल गलत (आर0डी0एफ0) आ रहा है। जिस कारण उनका बिजली का बिल अधिक धनराशि का आ रहा है। जिसको ठीक कराने हेतु दिनांक 10.09.2023 को ऑनलाईन शिकायत की थी। (शिकायत संख्या 210009230216) भी की गई है और दूसरी शिकायत दिनांक 07.08.2024 को की गयी थी। (शिकायत संख्या 20708241139) को की गई थी, जिस पर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनके द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय में कई बार बिजली बिल ठीक करवाने हेतु चक्कर लगाने पर भी उनका विद्युत बिल ठीक नहीं किया गया है। पिछले एक साल से उन्हें आर0डी0एफ0 के आधार पर गलत बिल दिये जा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4188 दिनांकित 12.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर–प्रथम द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 526 दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री अय्यूब अहमद पुत्र श्री बसीर अहमद विद्युत संयोजन सं0 JW60728074867 का बिल माह 06/2024 को संशोधित कर दिया गया था एवं उपभोक्ता को बिल दिनांक 24.08.2024 में मीटर रीडिंग 21244 केडब्ल्यूएच के आधार पर प्रेषित कर दिया गया है जिसमें मीटर की छायाप्रति मंच को संलग्न कर प्रेषित है तथा उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायत क्रमांक 20708241139 जे0ई0 मीटर पर Pending है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जुनेदुर रहमान को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती शिल्पी सैनी उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 30.03.2000 से श्री अय्यूब अहमद के नाम पर गतिमान है।

क्रमशः......02

विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.03.2023 तक, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 27.04.2023 से दिनांक 23.05.2024 तक, लगातार 14 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2024 को, परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.2023 से दिनांक 22.06.2024 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत 2441 (20671–18230) यूनिट का संशोधित बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पुनः दिनांक 22.07.2024 को आरडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है, जिसे निरस्त करते हुए दिनांक 24.08.2024 को, दिनांक 22.06.2024 से दिनांक 24.08.2024 तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत 573 (21244–20671) यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। दिनांक 24.09.2024 को परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर एमयू का बिल जारी किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.2023 से दिनांक 24.09.2024 तक, लगभग 18 माह की अवधि में कुल 3220 (21450–18230) यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 18 माह की अवधि में लगभग 178 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा गत वर्षों में दिनांक 27.04.2021 से दिनांक 24.03.2023 तक, लगभग 21 माह की अवधि में कुल 3756 (18230–14474) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 21 माह की अवधि में लगभग 179 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 178 यूनिट की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–30721442 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	22/10/2024	22/10/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 251/2024 **दिनांक : 22.10.2024**

परिवादी :– श्री भूरा पुत्र श्री लाल हुसैन, पता–प्लाट नं0–847, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, पोस्ट–चिड़ियापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री भूरा पुत्र श्री लाल हुसैन, पता–प्लाट नं0–847, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, पोस्ट–चिड़ियापुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या--6911337134965 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने यह विद्युत कनैक्शन, घरेलू उपयोग हेतु लिया हुआ है। उनके विद्युत संयोजन का लगभग 3 वर्षो से गलत बिल आ रहा है। जिस सम्बन्ध में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया था। विभाग की ओर से 2 बार चैक मीटर भी लगाया गया, लेकिन रीडिंग सही नहीं की गई, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वह बहुत कम मात्रा में विद्युत का उपयोग करते हैं। वह अधिक एवं गलत बिल जमा करने में असमर्थ हैं। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2149 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री भूरा पुत्र श्री लाल हुसैन, गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार के विद्युत संयोजन सं0 6911337134965 में स्थापित मीटर संख्या यू264582 मे ऑनलाईन शिकायत सं0 21605230330 दिनांक 16.05.2023 के अनुक्रम मे सहायक अभियन्ता (नगरीय), हरिद्वार द्वारा वादी उपभोक्ता के परिसर पर दोबार मीटर लगाने की प्रक्रिया की गयी। परन्तु वादी उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित चैक मीटर का आंकलन नही किया जा सका क्योकि वादी उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त चैक मीटर से परिसर पर स्थापित मीटर सं0 यू264582 पर लोड ना लेकर अलग से लोड चलाया गया। जिस कारण उपरोक्त चैक मीटरों को फाईनल नहीं किया जा सका एवं वादी उपभोक्ता को प्राप्त हो रहे है बीजक में माह 23.08.2024 तक, प्राप्त हुए सी0डी0एफ0 बिल को एवं दिनांक 19.09.2021 से वादी उपभोक्ताा द्वारा विद्युत खपत का औसत के अनुसार दिनांक 23.08.2024 ब्याज रहित संशोधन किया गया, जिसकी संशोधन राशि 1,08,442.00 वाजिब चली आती है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 2344 दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से, परिवादी के संयोजन पर स्थापित चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल की गई है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री भूरा को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व)

क्रमशः......02

श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 29.11.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.08.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.11.2021 से दिनांक 16.11.2023 तक, शून्य खपत के विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 16.03.2023 को मीटर रीडिंग (आईआर) 1001 केडब्लूएच से एफआर—13235 केडब्लूएच तक की विद्युत खपत—12334 यूनिट, विद्युत खपत के स्थान पर, सिलिंग आधार पर 1551 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2023 तक लगातार, सिलिंग आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 14.01.2024 को परिवादी के प्रश्नगत मीटर पर, दिनांक 16.01.2023 से दिनांक 14.01.2024 तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत—12352 (13353—1001) यूनिट के आधार पर संशोधित बिल जारी किया गया है। दिनांक 20.03.2024 से दिनांक 23.06.2024 तक, शून्य यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 23.07.2024 तथा दिनांक 23.08.2024 को, सिलिंग आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा चैक मीटर के संबंध में की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए परिवादी के संयोजन पर, पूर्व में स्थापित चैक मीटर पर दर्ज शून्य विद्युत खपत के आधार पर फाइनल नहीं किया जा सका, जबकि परिवादी के मैन मीटर पर लगातार विद्युत खपत दर्ज की जाती रही है। तद्पश्चात परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 09.09.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक स्थापित चैक मीटर संख्या—एचई200810 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर सही पाया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग 17643 केडब्लूएच सही प्रतीत होती है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—यू264582 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप दिनांक 16.03.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग (एफआर) 13235 केडब्लूएच दर्ज करते हुए अत्यधिक विद्युत खपत दर्शायी गई है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 2149 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.09.2021 से दिनांक 21.03.2022 तक की अवधि हेतु, औसतन मासिक विद्युत खपत 441 यूनिट तथा दिनांक 15.01.2024 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि हेतु, 613 यूनिट प्रतिमाह की औसत विद्युत खपत के आधार पर परिवादी के बिलों को संशोधित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 29.11.2018 (संयोजन की तिथि) से दिनांक 20.09.2021 तक, लगभग 34 माह की अवधि में कुल 1001 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 34 माह की अवधि में लगभग 59 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 441 तथा 613 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत की तुलना में कमशः 86.62 तथा 90.38 प्रतिशत कम है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 29.11.2018 से दिनांक 23.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, उक्त अवधि हेतु परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू264584 पर दर्ज विद्युत खपत 17643 केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

कमशः......03

वाद सं0—251 / 2024
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 29.11.2018 से दिनांक 23.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, उक्त अवधि हेतु परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू264584 पर दर्ज विद्युत खपत 17643 केडब्लूएच के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024 22/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 253/2024 **दिनांक 22.10.2024**

परिवादी :– श्री गेंदा सिंह पुत्र श्री सुक्खन सिंह, पता–174/11(360/01 नया) गणेशपुर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री गेंदा सिंह पुत्र श्री सुक्खन सिंह, पता–174/11(360/01 नया) गणेशपुर, रूड़की ने शिकायत पत्र (कागज स0–1) द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6810127023570 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह वर्ष 1986 से आज तक विद्युत विभाग के द्वारा दिये गये बिलों का भुगतान निरंतर करता आ रहा है। लेकिन विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसका बिल और रीडिंग गलत भेजी जा रही है जिस कारण उसके बिजली बिल मे अनियमितता पायी गयी है। जिस कारण उसके द्वारा विभाग को प्रार्थना पत्र भी भेज दिया गया परन्तु बिल में आज तक कोई संशोधन नही किया गया और अब तक उसे गुमराह किया जा रहा था। उसका वर्तमान मे किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। उसने कई चक्कर विभाग के रूड़की कार्यालय मे लगाए परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। उसका कथन है कि अगर उसका मीटर विभाग द्वारा टेस्ट करवाया गया था तो उसको इस बात की कोई जानकारी क्यों नही दी गई। उसका कथन है कि जब उसका मीटर विभाग द्वारा टेस्ट के लिए ले जाया गया था तब उसका मीटर पूर्णतः सील्डपैक था। मीटर ले जाने के बाद विभाग ने उसके मीटर का क्या किया इसकी उसको कोई जानकारी नही दी गई। तबसे उसको लगातार काफी अधिक का बिल भेजा जा रहा है साथ ही बिल पर ब्याज भी जगाया जा रहा है। जिससे उसको मानसिक रूप से पिड़ा हो रही है। उसका कथन है कि जो ब्याज उसके बिल मे लगकर आ रहा है वह विभाग की गलती से आ रहा है उसका भुगतान वह क्यो करे जबकि गलती विभाग की है। उसको जो अनियमित बिल दिया जा रहा है उसका भुगतान करने मे वह असमर्थ है वह एक गरीब परिवार से आता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उसका बिल ठीक करवाया जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी जवाब कागज स0–6 मय संलग्नक कागज स0–7 ता 14 में विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4340 दिनांकित 20.09.2024 द्वारा कथन किया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 08.04.2023 को YMPL TESTING के दौरान पुराना मीटर 94.54 प्रतिशत कम खपत अंकन के कारण उतारा गया तथा परिसर पर नया विद्युत मापक स्थापित किया गया। परिसर से उतारे गये पुराने मापक को दिनांक 21.06.2023 को विद्युत परीक्षणशाला नगरीय उपाकालि रूड़की मे चेक किया गया। सहायक अभियन्ता विद्युत परीक्षणशाला नगरीय उपाकालि रूड़की ने अपने

क्रमशः......02

कार्यालय पत्रांक 66 दिनांक 23.06.2023 के अनुसार विद्युत मापक मे निम्न त्रुटिया पायी गई जो निम्न प्रकार है:— Unusual soldring found in of meter-CT short meter found 94.54 % slow as per YMPL testing. जिसके उपरान्त खण्ड कार्यालय पत्रांक 3196 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा अनन्तिम निर्धारण धनराशि रू0. 33105.00 का किया गया जिस पर उपभोक्ता द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया। जिसके उपरान्त खण्ड कार्यालय पत्रांक 3801 दिनांक 17.08.2024 के द्वारा कुल धनराशि रू0. 38517.00 (अन्तिम निर्धारण रू0. 13078.00 + विद्युत बीजक बकाया रू0 25439.00) का निर्धारण किया गया।

—विवेचना—

सुनवाई हेतु नियत दिनांक को पक्षकार उपस्थित आये। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के अनुसार परिवादी के बिल को सही कर दिया गया है जिस पर परिवादी का कथन है कि विपक्षी ने कम की गई बिल धनराशी पर एल.पी.एस. की धनराशी को बिल से कम नही किया है जोकि उचित मांग है। विपक्षी ने अपने जवाब कागज स0—6 में कथन किया है कि उसके द्वारा बिल धनराशि में संशोधन कर निर्धारण धनराशी रुपये 13078.00 कर दिया है जिसमे विद्युत बीजक बकाया रु0 25439.00 जोड कर परिवादी की ओर कुल रुपये 38517.00 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार प्रेषित नोटिस पत्रांक स0—3196 दिनांकित 30.6.2023 बाबत रुपये 33105.00 के स्थान पर पत्रांक स0—3801 दिनांकित 17.8.2024 निर्धारण धनराशि रुपये 13078.00 कर दिये जाने के उपरांत अन्तर की धनराशि रुपये 20027.00 है जिस पर लगाया गया एल.पी.एस. बिल धनराशि से कम किया जाना आवश्यक है। परन्तु धारा 126 / 135 के अन्तर्गत निर्धारित धनराशी को बिल धनराशी में समाहित किये जाने का कोई प्रावधान नही है जोकि विपक्षी के उक्त पत्रांक स0—3801 दिनांकित 17.8.2024 की भाषा से भी स्पष्ट होता है जिसके अन्त में लिखा गया है कि 'यदि आप अन्तिम निर्धारण से सन्तुष्ट नहीं है तो आप अपना प्रत्यावेदन जिलाधिकारी हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त निर्धारण की धनराशि रू0 33105.00 को संशोधन के पश्चात रू0 13078.00 किए जाने के परिणामस्वरुप, परिवादी के बिल में रू0 20027.00 (33105—13078) के सापेक्ष चार्ज किए गए विलंब अधिभार शुल्क को समाप्त करते हुए परिवादी को संशोधत बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024 — 22/10/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 254/2024 **दिनांकः 22.10.2024**

परिवादी :— श्रीमती सैन बीबी पत्नी श्री माही चेची, पता—गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार।

विपक्षी :— अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सैन बीबी पत्नी श्री माही चेची, पता—गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6911337134785 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनैक्शन उनकी दादी श्रीमती सेन बीबी के नाम पर है जोकि एक वृद्ध महिला होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकती है। उनका विद्युत बिल गलत आ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। जिस कारण वह बिल जमा नहीं कर पा रही हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवाया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने पत्र संख्या 2152 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शिकायकर्ता श्रीमती सैन बीबी पत्नी श्री माही चेची, पता—गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार का विद्युत संयोजन संख्या—691/1337/134785 चला आता है। उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का संज्ञान लेने पर ज्ञात हुआ है कि वादी को सभी विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के प्राप्त हो रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इसी कम में विपक्षी विभाग ने अपने पत्र संख्या 2476 दिनांकित 08.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है तथा उनके द्वारा एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु पुनः प्रयास किया जा रहा है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री मौ0 इरफान को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 01 कि0वा0 विद्युत भार पर, दिनांक 09.11.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.08.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 22.08.2024 को सिलिंग आधार पर जारी बिल में 2677 यूनिट के स्थान पर 867 यूनिट दर्शाया गया है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.07.2024 तथा 22.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत कमशः 232 तथा 867 यूनिट को अधिक बताते हुए विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 22.08.2024 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत की मात्रा 867 (2677 यूनिट) यूनिट, पूर्व में जारी बिलों में दर्शायी गई खपत की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होती है।

क्रमशः......02

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादिनी द्वारा गत वर्षों में निम्नानुसार विद्युत खपत दर्ज की गई है:—

वर्ष	अवधि		माह	कुल विद्युत	औसतन मासिक विद्युत
	से	तक	(लगभग)	खपत kwh	खपत kwh
2018/19—20	09.11.20218	27.07.2019	8.60	01	0.12
	27.07.2019	19.03.2020	7.73	637	82
2020—21	19.03.2020	20.03.2021	12	631	53
2021—22	20.03.2021	11.03.2022	12	539	45
2022—23	11.03.2022	14.03.2023	12	506	42
2023—24	14.03.2023	17.03.2024	12	1415	118
2024—25	17.03.2024	22.06.2024	3	3236	1079

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू216063 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं फलस्वरूप दिनांक 22.08.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग 6964 केडब्लूएच दर्शाते हुए अत्यधिक विद्युत खपत 2677 (867) यूनिट खपत विद्युत का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में मंच द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—216063 की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के विपक्षी विभाग को आदेश दिए गए, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने को लेकर असमर्थता प्रकट की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 09.11.2018 (27.07.2019) से दिनांक 22.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 09.11.2018 से दिनांक 22.08.2024 तक की अवधि हेतु, कुल 6964 (6964—0) यूनिट विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 09.11.2018 (27.07.2019) से दिनांक 22.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 09.11.2018 से दिनांक 22.08.2024 तक की अवधि हेतु, कुल 6964 (6964—0) यूनिट विद्युत खपत के सापेक्ष, दर्ज, औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024 | 22/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 255/2024 **दिनांक : 08.10.2024**

परिवादी :– श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री राजा, निवासी–गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री राजा, निवासी–गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6911337559772 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत आ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। गलत बिल आने के कारण वह अपना विद्युत बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2153 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री राजा, के विद्युत संयोजन संख्या 6911337559772 चला आता है। यह कि उपरोक्त संयोजन पर दिनांक 18.06.2024 को केवल धनराशि रू0. 13,000.00 का भुगतान किया गया है। उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का संज्ञान लेने पर ज्ञात हुआ है कि वादी को सभी विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के प्राप्त हो रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री गुलाम मुस्तफा को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 कि0वा0 विद्युत भार पर, दिनांक 05.08.2020 से श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री राजा के नाम से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा वर्तमान में, दिनांक 22.05.2024 से दिनांक 23.08.2024 तक कुल 233 (4306–4073) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 03 माह की अवधि में, 78 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत की खपत की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 23.10.2023 तक, लगभग

क्रमशः......02

03 माह की अवधि में, कुल 266 (4018—3752) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 03 माह की अवधि में लगभग 87 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 78 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—423712 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए जा रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024 08/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 256/2024 दिनांक : 08.10.2024

परिवादी :– श्री बसीर पुत्र स्व0 श्री शुकरदीन, निवासी–गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री बसीर पुत्र स्व0 श्री शुकरदीन, निवासी–गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 6911337109941 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि बसीर पुत्र स्व0 शुकरदीन गुज्जर बस्ती, गैण्डीखाता, हरिद्वार का निवासी है। यह कनैक्शन मेरे पिताजी के नाम से है जिनका स्वर्गवास हो गया है। उनका बिल गलत आ रहा है व बिल में जमा की गई धनराशि भी बिल में जोड़ी जा रही है। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। गलत बिल आने के कारण वह अपना विद्युत बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2154 दिनांकित 11.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री बसीर पुत्र स्व0 श्री शुकरदीन, में, उपभोक्ता स्व0 श्री शुकरदीन का विद्युत संयोजन संख्या 6911337109941 चला आता है। जिसमें वादी शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त संयोजन में, अपना नाम परिवर्तन नहीं कराया गया है। उपरोक्त संयोजन पर कभी भी किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का संज्ञान लेने पर ज्ञात हुआ है कि वादी को सभी विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के प्राप्त हो रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री बसीर को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 कि0वा0 विद्युत भार पर, श्री शुकरदीन पुत्र स्व0 श्री मीर बक्स के नाम से दिनांक 27.11.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, माह 07/2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के संयोजन पर स्थापित गतिमान मीटर संख्या--80289837 पर, दिनांक 20.09.2018 से

क्रमशः......02

दिनांक 18.09.2021 तक कुल 4366 यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त, लगभग 36 माह की अवधि में, 121 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि परिवादी के स्वीकृत भार के सापेक्ष सही प्रतीत होती है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा विद्युत बिल का भुगतान लंबे अंतराल से नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष जारी बिलों में लगभग रू0 10270.00 की धनराशि, विलंब अधिभार शुल्क के रूप में सम्मिलित की गई है। परिवादी का यह कथन कि उनके द्वारा जमा की गई धनराशि को, परिवादी के बिलों में समायोजित नहीं किया गया है, सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि परिवादी द्वारा जमा की गई धनराशि रू0 2356.00 दिनांक 15.01.2014, रू0 515.00 दिनांक 23.05.2014, रू0 425.00 दिनांक 29.11.2014, रू0 6683.00 दिनांक 06.10.2017, रू0 4000.00 दिनांक 30.03.2018, रू0 4927.00 दिनांक 26.06.2019 का समायोजन परिवादी के बिलों में दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—80289837 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं परंतु परिवादी द्वारा लंबे अंतराल से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप रू0 10270.00 की धनराशि विलंब अधिभार शुल्क के रूप में, बिल की कुल धनराशि में सम्मिलित की गई है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024   08/10/2024

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	(सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 259/2024 **दिनांक : 22.10.2024**

परिवादी :– श्री मोहन लाल पुत्र श्री फूल सिंह, निकट राधा कृष्ण मन्दिर पुरानी सब्जी मण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य–परिवादी श्री मोहन लाल पुत्र श्री फूल सिंह, निकट राधा कृष्ण मन्दिर पुरानी सब्जी मण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में (कागज स0–1 ता 23) कथन किया गया है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं तथा वह अरसा दराज से जेरे किरायेदारी वाली दुकान में मोहन कन्फैक्शनरी के नाम से कार्य करता चला आ रहा है। कथन किया है कि उसकी उक्त किरायेदारी वाली दुकान ही उसका व उसके परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन है। उसके द्वारा कथन किया है कि उक्त दुकान में नया व्यवसायिक विद्युत कनैक्शन लेने हेतु दिनांक 25.07.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया था जिसका आवेदन संख्या 112507240375 है। कथन किया है कि उसने ऑनलाईन आवेदन के पश्चात दिनांक 30.07.2024 को समस्त प्रपत्रों की छाया प्रति के साथ एक प्रार्थना पत्र बजरिये रजिस्टर्ड डाक नये विद्युत कनैक्शन की बाबत समक्ष श्रीमान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर को प्रेषित किया था। कथन किया है कि उसको उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में एक पत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर हरिद्वार का पत्रांक संख्या 3531/वि0वि0ख0/ज्वा0/ह0 दिनांक 05.08.2024 का प्राप्त हुआ। कथन किया है कि उक्त पत्र के माध्यम से उसको निर्देशित किया गया कि प्रार्थी प्रपत्रों की छाया प्रति के सापेक्ष विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। कथन किया है कि उसको प्राप्त पत्र दिनांक 05.08.2024 के अनुपालन में सापेक्ष विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की छाया प्रति को श्रीमान एस0डी0ओ0 महोदय आर्यनगर चौक ज्वालापुर हरिद्वार के कार्यालय में उपस्थित हुआ जिस पर श्रीमान एस0डी0सी0 सब–डिवीजन महोदय का तर्क आया कि हम ऑनलाईन आवेदन को नहीं मानते हैं और उसको एक अन्य आवेदन फार्म उपलब्ध कराया कि आप उक्त फार्म को भरकर और प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न कर फार्म जमा करायें। उसने श्रीमान एस0डी0ओ0 महोदय से प्राप्त फार्म को भर कर एवं प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान एस0डी0ओ0 महोदय ने बिना कारण बताए और बिना किसी विधिक अधिकार के नया कनैक्शन देने से इन्कार कर दिया और उसके द्वारा पूछने पर ना तो कारण बताया

क्रमशः......02

और ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया। कथन किया है कि उसको दुकान में बिजली न होने के कारण व्यवसाय को चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और अत्यधिक गर्मी होने से बिना पंखे व लाईट के रहना असम्भव है और वह एक वरिष्ठ नागरिक होने के कारण दिन छिपने से पहले ही दुकान बन्द करनी पड़ती है जिस कारण उसके व्यवसाय को लगातार नुकसान व धनहानि हो रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उसको नया विद्युत कनैक्शन शीघ्र अतिशीघ्र दिलवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब — विपक्षी विभाग के जवाब (कागज स0—25) उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 584 दिनांकित 23.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये तथ्यों के सन्दर्भ में, उपभोक्ता द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। जिसमें उपभोक्ता के प्रपत्र पूर्ण न होने के कारण Reject कर दी गई थी। जब उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में नये विद्युत संयोजन हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराये गये तब एस0डी0सी0 एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें अवगत करा दिया गया कि उनके प्रपत्रों में जमीन की रजिस्ट्री एवं किरायानामा उपलब्ध ना होने के कारण नया विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया जा सकता है।

परिवादी साक्ष्य/प्रतिउत्तर— विपक्षी के जवाब पर परिवादी की ओर से कागज स0—27 ता 41 प्रस्तुत किये गये।

—विवेचना—

सुनवाई के समय पुकार पर मंच के समक्ष परिवादी श्री मोहन लाल व विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती शिल्पी सैनी उपस्थित हुई। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद तथ्यों अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी ने एक दुकान किराये पर ले रखी है जिसे उसका स्वामी खाली कराना चाहता है जिसके विरुद्व परिवादी ने एक सिविल वाद स0—248/2024 सिविल जज जे.डी. हरिद्वार के समक्ष दायर किया है जोकि न्यायालय में विचाराधीन है। परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान कथन किया कि दुकान स्वामी ने दुकान में विद्युत सप्लाई बंद कर दी है जिस कारण वह अपना अलग से विद्युत कनेक्शन प्रश्नगत दुकान पर स्वयं की जिम्मेदारी पर लेना चाहता है। उपरोक्त के दृष्टिगत नये विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। विद्युत अधिनियम 2003 एवं विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 में नया विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है —

Electricity act Section 43 & (Duty to supply on request): - (1) [Save as otherwise provided in this Act, every distribution] licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply:

विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अध्याय—3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु—04 के अनुसार— आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज नीचे दिये गये हैं:

(i) **स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण**—आवेदक परिसर जिसके लिए संयोजन की आवश्यकता है के स्वामित्व व कब्जाधारी होने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गई नवीनतम

किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त होगा)।

(b) पंजीकृत मुख्तयारनामा ।

(c) नगर कर रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

(d) आबंटन पत्र

(e) एक आवेदक जो एक मालिक नहीं है, लेकिन परिसर का एक कब्जाधारी है, उक्त (a) से (d) में सूचीबद्व दस्तावेज में से किसी एक को परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगा।

बशर्ते कि आवेदक उपरोक्त (a) से (e) में सूचीबद्व दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आवेदक से उप–विनिमय 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज की जायेगी। परिसर का मालिक यदि आवेदक से अलग है तो ऐसे संयोजन के विरूद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

परिवादी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में शपथपत्र कागज स0–7,8,फोटो कागज स0–18,नगरपालिका रिकार्ड कागज स0–20,21,22,23, वाद पत्र कागज स0–28 ता 36 व जवाब दुकान स्वामी कागज स0–37 ता 41 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि परिवादी प्रश्नगत दुकान में किरायेदार है। कागज स0–37 ता 41 में दुकान स्वामी के जवाब में भी परिवादी मोहन लाल का दुकान पर काबिज होने से इंकार नहीं किया गया है। विद्युत विभाग ने भी प्रश्नगत दुकान पर परिवादी के काबिज होने से इंकार नहीं किया है । विभाग द्वारा परिवादी के पास रजिस्ट्री अथवा किरायानामा न होने के आधार पर कनेक्शन देने से इंकार किया गया है जबकि वह आवेदक से उप–विनिमय 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज कर विद्युत कनेक्शन जारी कर सकता है। विद्युत कनेक्शन एक मौलिक आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में भी निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत मंच की राय में परिवादी को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना उचित एवं न्याय संगत होगा।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान **'अध्याय–3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दु–04** (a)(i) Provisio' के अनुसार आवेदक से उप–विनिमय 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज कर परिवादी को विद्युत कनेक्शन जारी करे। यह आदेश, परिवादी के, प्रश्नगत परिसर पर काबिज रहने तक ही प्रभावी रहेगा। विपक्षी आदेश का अनुपालन आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर सुनिश्चित कर आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024 — 22/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 260 / 2024 दिनांक : 22.10.2024

परिवादी :– श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सूरत सिंह, निवासी–ग्राम व पो0 बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सूरत सिंह, निवासी–ग्राम व पो0 बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायत कागज स0–1 में विद्युत संयोजन संख्या जेडब्ल्यू 61222137423 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के नाम एक विद्युत संयोजन भार 02 कि0वा0 का, शिकायतकर्ता के परिसर पर स्थापित है। जिसका मीटर तेज चल रहा है। जिसकी शिकायत विभाग मे दर्ज करा दी है। चैक मीटर लगवाने के लिए उसने रू0. 118 जमा करा दिये है, जिसका रसीद नं0 14527210824WS990098 दिनांकित 21.08.2024 है। अतः कार्यवाही करने की कृपा करे।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने कागज स0–3 मय सलग्नक कागज स0–4 में अपने पत्र संख्या 847 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा कथन किया है कि दिनांक 11.09.2024 को सहायक अभियन्ता मापक, विद्युत परिक्षणशाला सिडकुल द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर लगा दिया गया है।

विवेचना

मंच द्वारा सुनवाई हेतु वाद पुकारा गया पक्षकार अनुपस्थित रहे, मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी ने परिवादी के परिसर में चैक मीटर संस्थापित कर दिया है जिसकी मीटर सीलिंग रिपोर्ट की प्रति भी विपक्षी ने पत्रावली पर प्रस्तुत की है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 22/10/2024	(सतीश उनियाल) 22/10/2024
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 261/2024 दिनांक : 22.10.2024

परिवादी :– श्री मेहरबान पुत्र श्री इदरीश, निवासी–महमूदपुर, पोस्ट–पिरान कलियर, महमूदपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य –परिवादी श्री मेहबान पुत्र श्री इदरीश, निवासी–महमूदपुर, पोस्ट–पिरान कलियर, महमूदपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र (कागज स0–1 ता 3 मय संलग्नक कागज स0– 4 ता 14) प्रस्तुत कर विद्युत संयोजन संख्या 682एमएच02141217 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के नाम एक विद्युत संयोजन भार 02 कि0वा0 का शिकायतकर्ता के निवास स्थल पर स्थापित है। यह कि उपरोक्त विद्युत संयोजन के अलावा शिकायतकर्ता के नाम अन्य कोई विद्युत संयोजन नही है। यह कि शिकायतकर्ता निरन्तर रूप से उपरोक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल जमा करता चला आ रहा है। यह कि शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती रूकसाना ने एक शिकायत संख्या 09/2024 माननीय मंच के समक्ष दायर की थी। जिसमें माननीय मंच द्वारा शिकायतकर्ता की पत्नी के हक में फैसला देते हुए गलत विद्युत बिल की धनराशि को शून्य कर दिया था। यह कि उपरोक्त आदेश से नाराज होकर विपक्षी द्वारा उक्त धनराशि शिकायतकर्ता से वसूल करने की नाजायज कोशिश कर रहा है एवं गलत तरीके से तथ्य छिपाते हुए उक्त धनराशि की रिकवरी के लिये माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक आर0सी0 मु0–11,99,473.00 एवं अन्य देय दिनांकित 30.08.2024 जारी करवा दी है। जिस कारण अमीन शिकायतकर्ता पर उक्त धनराशि जमा करने का निरन्तर दबाव बना रहा है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा अमीन महोदय को भी सूचित कर दिया था कि यह धनराशि गलत है एवं उक्त मामले की अपील माननीय लोकपाल विद्युत महोदय के न्यायालय में लम्बित चला आता है। जिस कारण अभी उक्त धनराशि जमा नही की जा सकती है, परन्तु अमीन महोदय शिकायतकर्ता को लगातार धमकी दे रहे है कि यदि उसने उक्त धनराशि जमा नही की तो उसको जेल भेज देंगे। शिकायतकर्ता अमीन महोदय की धमकी से डरा व सहमा हुआ है। यह कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के कार्यालय में जाकर भी कई बार प्रार्थना की गई उक्त आर0सी0 को वापस ले ले, परन्तु विपक्षी कोई कार्यवाही न करके कहता है कि जेल तो तुम्हे जाना पड़ेगा, अन्यथा सारे पैसे जमा कर दो। यह कि शिकायतकर्ता एवं विपक्षी के मध्य सेवा प्रदाता के सम्बन्ध चले आते है। यह कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यह कि विपक्षी का उपरोक्त कृत्य सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरें मे आता है।

क्रमशः......02

परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध कर अनुतोष चाहा है कि उसके विरूद्ध जारी आर0सी0 रू0. 11,99,473.00 दिनांकित 30.08.2024 को निरस्त फरमाया जाये। तथा विपक्षी को आदेशित किया जाये कि उपरोक्त धनराशि की वसूली शिकायतकर्ता से न की जाये। परिवादी ने प्रार्थना की है कि शिकायतकर्ता के हक में एक स्टे पारित करते हुए विपक्षी को यह आदेशित किया जाये कि मु0 11,99,473.00 शिकायतकर्ता से न वसूले जायें। परिवादी ने प्रार्थना की है कि विपक्षी का उपरोक्त कृत्य सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अन्तर्गत आता है, जिस कारण विपक्षी पर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है तथा अन्य कोई अनुतोष जो माननीय मंच को ठीक लगे विपक्षी से सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को दिलाया जावे।

विपक्षी का जवाब–विपक्षी विभाग के जवाब (कागज स0–17 ता 19 मय संलग्नक कागज स0–20 ता 44) के द्वारा अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 4949 दिनांकित 05.10.2024 द्वारा कथन किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर 2 किलोवाट का विद्युत संयोजन संख्या 40109814123 (682एमएच02141217) स्थापित है, जिसकी खपत प्रतिमाह बहुत कम है। इसके अतिरिक्त इसी परिसर पर एक 5 किलोवाट का एक और वाणिज्य संयोजन 680के000167471 शिकायतकर्ता श्री मेहरबान द्वारा अपनी पत्नी श्रीमति रूकसाना के नाम से लिया हुआ है, जिसका उपयोग स्वयं शिकायतकर्ता श्री मेहरबान द्वारा ही किया जाना स्वीकार किया गया। जिस पर दिनांक 19.05.2022 को चैकिंग की गई एवं विद्युत चोरी होती हुई पायी गयी थी, जिसके सापेक्ष रूपये 4,02,940.00 का निर्धारण किया गया था, तथा दिनांक 13.12.2023 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा नियमित चैकिंग के दौरान पुनः श्री मेहरबान द्वारा उक्त परिसर में ही चोरी करना पाया गया, जिसके सापेक्ष रूपये 6,87,483.00 का निर्धारण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा, विद्युत चोरी के सापेक्ष किये गए कुल निर्धारण की धनराशि रू0 10.90.423.00 (रू04,02,940.00+6,87,483.00) इतने जोकि आज दिनांक तक भी नहीं जमा किये गये हैं। उक्त परिसर पर ही शिकायतकर्ता श्री मेहरबान द्वारा संयोजन संख्या 682एमएच02141217 लिया हुआ है, जिस पर वर्तमान में रूपये 64.904.00 का बकाया है। इसके अतिरिक्त इस परिसर पर शिकायतकर्ता द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती रूकसाना के नाम से एक वाणिज्य संयोजन संख्या 680के000167471 लिया हुआ है जिस पर रूपये 36,056.00 बकाया है। दिनांक 13.12.2023 को शिकायतकर्ता द्वारा की गई विद्युत चोरी की चैकिंग के सापेक्ष धनराशि रू0 4,02,940.00 को परिसर पर स्थापित संयोजन संख्या 680के000167471 के विद्युत बीजक में जोड दिया गया था। माननीय मंच द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.02.2024 में उक्त धनराशि को श्री मेहरबान से वसूल करने हेतु तथा श्रीमती रूकसाना के विद्युत बीजक से हटाने के आदेश पारित किये गये थे। माननीय मंच द्वारा ना ही निर्धारण की धनराशि को शून्य करने और ना ही विद्युत संयोजन को जोड़ने हेतु आदेशित किया गया था। शिकायतकर्ता का यह कथन कि माननीय मंच द्वारा शिकायतकर्ता की पत्नी के हक में फैसला दिया गया है गलत और निराधार है। विपक्षी ने कथन किया कि पुनः संज्ञान में लाना है कि शिकायतकर्ता श्री मेहरबान निवासी महमूदपुर, पिरान कलियर के द्वारा 19.05.2022 को विद्युत चोरी, 3.652 किलोवाट की पाई गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में कर दी गई थी। जिसका निर्धारण रू0 4.50,265.00 पत्रांक 1840 दिनांक 01.06.2022 द्वारा किया गया था जिस पर शिकायतकर्ता श्री मेहरबान द्वारा अपना आपत्ति पत्र दिनांक 04.07.2022 विभाग में प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 3058 दिनांक 16.08.2022 द्वारा रू0 4,02,940.00 का अन्तिम निर्धारण किया गया, जिसे उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक भी जमा नहीं कराया गया है, साथ ही अवगत कराना है कि दिनांक 13.12.2023 को चैकिंग के दौरान पुनः यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा पुनः विद्युत चोरी की जा रही थी अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के उप बिन्दु(1) (प) के तहत कार्यालय पत्रांक 5802 दिनांक

क्रमशः......03

28.12.2023 द्वारा रू0 6,87,483.00 का निर्धारण किया गया, जिसमें 3.651 किलोवाट की चोरी पाई गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त धारा प्रपत्र—5 के विरूद्व सम्बन्धित विभाग / कार्यालय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही की गई है। श्री मेहरबान के विरूद्व विद्युत चोरी के निर्धारण के सापेक्ष प्रपत्र—5 की कार्यवाही अमल में लायी गयी है अतः प्रपत्र—5 वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शिकायतकर्ता एवं विपक्षी के मध्य सेवा प्रदाता के सम्बन्ध चले आते हैं परन्तु शिकायतकर्ता पर जो कार्यवाही की गई है व असव्यधानिक / विद्युत चोरी के कारण की गई है जिसका निर्धारण विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 126 / 135 के तहत किया गया है। साथ ही माननीय मंच के संज्ञान में यह भी लाना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 5466 of 2012 arising out of case no 35906 of 2011 में दिनांक 01.07.2013 को पारित निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया कि "Therefore the complaint against assessment under section 126/135 in not maintainable before Counsumer Forum...." अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत वर्तमान वाद को निरस्त करने की कृपा करें। विभाग द्वारा केवल विभाग के हित में विद्युत चोरी निर्धारण / बकाया विद्युत बीजक की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत चोरी का जो कृत्य किया गया है वह सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। विपक्षी ने अनुरोध किया कि परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण मा0 मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

—विवेचना—

विपक्षी के जवाब की प्रति मय संलग्नक परिवादी को प्रेषित की गयी तथा साक्ष्य / प्रतिउत्तर का समय प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 नियत की गयी। नियत दिनांक को पक्षकार उपस्थित आये पक्षकारों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद के तथ्यो एवं साक्ष्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवादित है कि परिवाद का मामला विद्युत चोरी का होने के कारण मंच के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित नहीं है जिसके सम्बन्ध में विद्युत नियामक आयोग देहरादून द्वारा दिनांक 22.01.2019 को जारी **UERC (Guideline for Appiontment of Members and procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation 2019 Chapter3:** में उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार—

3.1 Jurisdiction of the Forum

(1) The Forum shall have the jurisdiction to entertain the grievances filed by the complainant with respect to the services provided by the Distribution Licensee and give such orders and directions as may be deemed necessary.

(2) The Forum shall entertain only those complaints which fall under sub-regulation (1) (d) of regulation 1.2 of these Regulations.

(3) The Forum shall not entertain a grievance if it pertains to the same subject matter for which any proceedings before any court, authority or any other Forum is pending or a decree, award or a final order has already been passed by any competent court, authority or forum.

(4) The Forum shall not entertain grievances falling under Sections 126, 127, 135 to 140 and 161 of the Act and matter relating to recovery of arrears where bill amount is not disputed.

(5) The Forum shall not entertain any grievances pertaining to shifting of electric lines/poles/equipments.

क्रमशः......04

(6) Subject to sub-regulation (3), (4) and (5) of regulation 3.1 of these Regulations, no grievance shall be rejected by the Forum at any stage, unless the complainant has been given an opportunity of being heard.

उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि परिवादी का परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है इस कारण विचारण हेतु पोषणीय नहीं है तदनुसार अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—आदेश—

परिवादी का परिवाद मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है इस कारण विचारण हेतु पोषणीय नहीं है तदनुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 263 / 2024 दिनांक : 22.10.2024

परिवादी :– श्री इसम सिंह पुत्र स्व0 श्री चौहल सिंह, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इसम सिंह पुत्र स्व0 श्री चौहल सिंह, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी2एल322065196 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के नाम एक विद्युत संयोजन, भार 01 कि0वा0 का उनके परिसर पर स्थापित है। उक्त संयोजन पर विद्युत विभाग द्वारा मीटर संख्या यू418865 स्थापित किया गया है। उनके मीटर की पिछली रीडिंग 4535 थी और वर्तमान में रीडिंग 5605 है। 1070 विद्युत यूनिट 5 महिने की है। दिनांक 12.04.2024 को उनके द्वारा बिल जमा कर दिया गया था। दिनांक 19.09.2024 को विद्युत विभाग द्वारा उनको रू0. 6713.00 का विद्युत बिल दिया गया है जो हर हाल में गलत है। उचित देय बिल नहीं होने के कारण वह बिल जमा करने में असमर्थ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 5257 दिनांकित 04.10.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196, श्री इसम सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, ग्राम–पीरपुरा, मंगलौर, तहसील–रूड़की, जिला हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि0वा0, दिनांक 14.08.1995 को निर्गत किया गया था। क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी झबरेड़ा ने अपने कार्यालय पत्रांक 872 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या यू418865 की दिनांक 30.09.2024 को जाँच कराने पर रीडिंग 5774 केडब्ल्यूएच पाई गयी है। उपभोक्ता के मीटर की एमआरआई नही हो पा रही है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196 का बीजक माह 06 / 2024 से माह 09 / 2024 तक रीडिंग 5605–4445=1160 यूनिट को बांटते (Bifercate) हुए संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 5760.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच के समक्ष परिवादी श्री इसम सिंह को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 कि0वा0 विद्युत भार पर, दिनांक 14.08.1995 से श्री इसम सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह के नाम से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.09.2024 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 21.07.2024 तथा दिनांक 11.08.2024 को शून्य विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 19.09.2024 को जारी बिल में, दिनांक 11.08.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक, लगभग 1.27 माह की अवधि हेतु कुल 1170 (5605—4535) यूनिट का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त 1.27 माह की अवधि हेतु, लगभग 921 यूनिट प्रति माह की दर से बिल जारी किए गए हैं जो कि पूर्व में जारी बिलों में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष अत्यधिक प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू418865 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत / रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। इसी कम में मंच द्वारा मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु विपक्षी को दिए गए, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में जारी, दिनांक 22.06.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक के बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 19.09.2024 को संशोधित बिल जारी किया गया है। संशोधित बिल के अनुसार दिनांक 19.05.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक, चार माह की अवधि हेतु कुल 1160 (5605—4445) यूनिट का बिल जारी किया गया है अर्थात उक्त 04 माह की अवधि हेतु, 290 यूनिट की औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए गए हैं जो कि पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत की तुलना में अधिक है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक, लगभग 12.33 माह की अवधि में कुल 2258 (5605—3347) यूनिट विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12.33 माह की अवधि में लगभग 183 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि पूर्व में दर्ज औसत खपत के सापेक्ष सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 29.10.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 09.09.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग आईआर—3347 केडब्लूएच तथा एफआर—5605 केडब्लूएच के आधार पर दर्ज कुल विद्युत खपत 2258 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औस्त मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 29.10.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 09.09.2023 से दिनांक 19.09.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर रीडिंग आईआर—3347 केडब्लूएच तथा एफआर—5605 केडब्लूएच के आधार पर दर्ज कुल विद्युत खपत 2258 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औस्त मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 133 / 2024 दिनांक : 08.10.2024

परिवादी :– श्री हसन पुत्र श्री महमूद, माता वाला मौहल्ला, बड़ी मस्जिद, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री हसन पुत्र श्री महमूद, माता वाला मौहल्ला, बड़ी मस्जिद, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD21508153178 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत बना है उनके घर पर जो मीटर लगा है वह अभी तक उनके अभिलेखों में नही चढ़ा है और मीटर बहुत अधिक रीडिंग दे रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल एवं मीटर ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी की प्रतिनिधि श्रीमती नसीमा उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी की प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर ही जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभिन्यन्ता ने अपने पत्र संख्या 4796 दिनांकित 21.09.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या RD21508153178 श्री हसन पुत्र श्री महमूद, माता वाला मौहल्ला, बड़ी मस्जिद, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0 वा0, दिनांक 12.12.2012 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD21508153178 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 770 दिनांक 10.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21508153178 पर दिनांक 19.07.2019 को पुराना मीटर बदल कर नया मीटर संख्या यू353433 स्थापित किया गया। जिसके आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD21508153178 का

क्रमशः......02

बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 59520.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 12.12.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 12.02.2018 से दिनांक 07.06.2019 तक एनए आधार पर, दिनांक 11.08.2019 से दिनांक 25.06.2021 तक आरडीएफ आधार पर, दिनांक 17.08.2021 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 25.07.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या—20018156 को, मीटर संख्या—यू353433 द्वारा दिनांक 26.12.2020 को प्रतिस्थापित किया गया है। परंतु विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या—यू353433 को, परिवादी के संयोजन संबंधी अभिलेखों में, लगभग 8 माह के बाद, दिनांक 17.08.2021 को दर्ज किया गया है तथा दिनांक 26.12.2020 से दिनांक 17.06.2021 / 17.08.2021 तक की अवधि हेतु, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए अंतरिम बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। इसी प्रकार दिनांक 11.08.2019 से दिनांक 26.12.2020 तक की अवधि हेतु, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों में, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अधिक विद्युत खपत का निर्धारण, दर्शाते हुए बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4796 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरडीएफ आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—यू353433 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग के लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, आरडीएफ आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—यू353433 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा, आरडीएफ आधार पर जारी अंतरिम बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत तथा वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—यू353433 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/10/2024   08/10/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।